सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 74

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1029.19	1326.96	2356.15	3810.22	1373.32	5183.54	3194.89	1426.15	4621.04
पूंजी		*4488.16*	*212.35*	*4700.51*	*2427.93*	*232.89*	*2660.82*	*2894.60*	*254.94*	*3149.54*
जोड़		**5517.35**	**1539.31**	**7056.66**	**6238.15**	**1606.21**	**7844.36**	**6089.49**	**1681.09**	**7770.58**
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	28.21	28.21	...	28.08	28.08	...	30.05	30.05
2. बी आर डी बी सचिवालय	3451	...	13.01	13.01	...	12.55	12.55	...	15.70	15.70
सड़क परिवहन										
3. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3055	6.35	...	6.35	5.00	...	5.00	4.94	...	4.94
4.राष्ट्रीय राजमार्ग निरिक्षण योजना/ प्रदूषण यंत्र परीक्षण उपकरण	3601	5.00	...	5.00	4.25	...	4.25	5.40	...	5.40
जोड़ सड़क परिवहन		**11.35**	**...**	**11.35**	**9.25**	**...**	**9.25**	**10.34**	**...**	**10.34**
5. सड़के और पूल										
5.1 राष्ट्रीय राजमार्ग	3054	1.70	705.00	706.70	211.50	703.50	915.00	1.00	749.04	750.04
5.2 अन्य कार्य	5054	2312.24	...	2312.24	2231.01	...	2231.01	2484.88	...	2484.88
जोड़		*2313.94*	*705.00*	*3018.94*	*2442.51*	*703.50*	*3146.01*	*2485.88*	*749.04*	*3234.92*
6. बोर्ड के तहत सड़क निर्माण कार्य										
6.1 बी आर डी वी के तहत सड़ कार्य	3601	...	406.73	406.73	...	438.81	438.81	...	469.71	469.71
6.2 बी आर डी के तहत कार्य	5054	135.92	212.35	348.27	135.92	232.89	368.81	30.00	254.94	284.94
6.3 अन्य कार्य	3054	...	67.91	67.91	...	80.75	80.75	...	69.65	69.65
जोड़		*135.92*	*686.99*	*822.91*	*135.92*	*752.45*	*888.37*	*30.00*	*794.30*	*824.30*
7. आर्थिक महत्व अथवा अन्तर्राज्यीय सड़के	3601	15.74	...	15.74	16.49	...	16.49	4.10	...	4.10
	7601	30.00	...	30.00	13.00	...	13.00	...	...	...
जोड़		*45.74*	*...*	*45.74*	*29.49*	*...*	*29.49*	*4.10*	*...*	*4.10*
8.केन्द्रीय सड़क कोष से वित्तपोषित योजनाएं										
8.01 राज्यों को अनुदान	3601	...	32.45	32.45	948.79	17.62	966.41	923.00	...	923.00
8.02 अन्तर्राजीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3601	...	...	...	...	...	...	98.00	...	98.00
घटाइए - वसूलियां	3601	...	...	...	-948.79	-17.62	-966.41	-1021.00	...	-1021.00
8.03 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	3602	...	10.10	10.10	41.21	...	41.21	39.00	...	39.00
8.04 अन्तर्राजीय और आर्थिक रूप से	3602	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3602	...	...	...	-41.21	...	-41.21	-41.00	...	-41.00
घटाइए - वसूलियां	3054	...	0.55	0.55	...	0.01	0.01	...	...	...
	3054	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	...	...
जोड़		*...*	*43.10*	*43.10*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
अन्य परिवहन सेवाएं	3054	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	5054	2010.00	...	2010.00	1800.00	...	1800.00	2100.00	...	2100.00
	5054	...	...	...	-1800.00	...	-1800.00	-2100.00	...	-2100.00
	7075	...	...	...	48.00	...	48.00	110.72	...	110.72
जोड़		*2010.00*	*...*	*2010.00*	*48.00*	*...*	*48.00*	*110.72*	*...*	*110.72*
10. अन्य व्यय										
10.01 विकास और योजना	3054	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	3.90	...	3.90
10.02 अन्य	3054	0.40	...	0.40	0.13	...	0.13	0.40	...	0.40
जोड़		*10.40*	*...*	*10.40*	*10.13*	*...*	*10.13*	*4.30*	*...*	*4.30*
जोड़ - अन्य परिवहन सेवाएं		**2020.40**	**...**	**2020.40**	**58.13**	**...**	**58.13**	**115.02**	**...**	**115.02**
11. केन्द्रीय सड़क निधि-	3054	...	...	...	3000.00	17.63	3017.63	3162.00	...	3162.00
का/से हस्तांतरण	3054	990.00	43.10	1033.10	...	...	...	...	...	...
	3601	...	-43.10	-43.10	...	...	...	...	...	...
निवल		*990.00*	*...*	*990.00*	*3000.00*	*17.63*	*3017.63*	*3162.00*	*...*	*3162.00*
12. राज्यों को देय पुल फीस निधि के संग्रहण	3054	...	...	...	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00
की लागत घटाइए - वसूलियां	3054	...	...	...	...	-6.00	-6.00	...	-6.00	-6.00
निवल		*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
13. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल फीस निधि से वित्तपोषित स्कीमें	5054	57.00	...	57.00	86.00	...	86.00	86.00	...	86.00

(करोड़ रुपए)

		बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
घटाइए - वसूलियां	5054	...	...	...	-86.00	...	-86.00	-86.00	...	-86.00
14. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई पुल शुल्क										
निधि अन्तरण	3054	...	...	...	...	92.00	92.00	...	92.00	92.00
को	3054	...	63.00	63.00	...	...	...	...	...	...
से	5054	-57.00	...	-57.00	...	...	...	...	...	...
निवल		*-57.00*	*63.00*	*6.00*	...	...	...	...	...	...
जोड़		*...*	*63.00*	*63.00*	*...*	*92.00*	*92.00*	*...*	*92.00*	*92.00*
15. ऋणों को बट्टे खातें डालना -										
आईआरआईसीसी	3054	...	...	...	160.68	...	160.68	...	...	...
16. ब्याज सब्सिडी - आईआरसीसी	3054	...	...	...	402.17	...	402.17	...	...	...
जोड़		*...*	*...*	*...*	*562.85*	*...*	*562.85*	*...*	*...*	*...*
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ	2552	...	...	...	...	...	...	13.15	...	13.15
परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त	4552	...	...	...	...	...	...	269.00	...	269.00
प्रावधान *जोड़*		*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*282.15*	*...*	*282.15*
कुल जोड़		***5517.35***	***1539.31***	***7056.66***	***6238.15***	***1606.21***	***7844.36***	***6089.49***	***1681.09***	***7770.58***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	13054	2010.00	...	2010.00	1848.00	...	1848.00	2210.72	3600.00	5810.72
ग. आयोजना परिव्यय										
1. सड़क और पुल	13054	4527.35	...	4527.35	5248.15	...	5248.15	4845.34	3600.00	8445.34
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	282.15	...	282.15
राज्य आयोजना										
1. सड़क और पुल	43601	990.00	...	990.00	990.00	...	990.00	962.00	...	962.00
जोड़		*5517.35*	*...*	*5517.35*	*6238.15*	*...*	*6238.15*	*6089.49*	*3600.00*	*9689.49*

1. यह व्यवस्था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नौवहन मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए हैं ।

2. यह व्यवस्था सीमा सड़क संगठन बोर्ड के सचिवालय पर होने वाले व्यय के लिए हैं ।

3. यह व्यवस्था मुख्यतः अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए हैं।

4.यह व्यवस्था दुर्घटनाओं के मामलें में पीड़ितों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतिपय सुविधाएं प्रदान करने के लिए है । इसमें पीड़ितों का प्राथमिक उपचार करना तथा यातायात को पुनः चालू रखने के लिए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाना मुश्किल है ।

5.1, यह व्यवस्था मुस्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके रखरखाव पर होने वाले व्यय हेतु की गई है । ये निर्माण कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड की जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स द्वारा भी पूरे किए जाते हैं ।

5.2 इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के व्यय के लिए व्यवस्था है । निर्माणकार्यों को राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसमें बाह्य रुप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियां भी शामिल है।

6. इस व्यवस्था में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में कतिपय सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को अनुदान सहायता देना शामिल है । पंजाब एवं राजस्थान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए जाते हैं । आयोजना राशि सी. स. वि. बो. को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे विस्तार के विकास के लिए भी है । इसमें सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा और मंत्रालय के सड़क विंग द्वारा विकसित कुछ महत्वपूर्ण सड़कों के लिए निधियों का प्रावधान शामिल है ।

7. यह व्यवस्था अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की कतिपय चुनी हुई राजकीय सड़कों के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है ताकि बेहतर संचार सुविधाओं का संवर्धन किया जा सके । वर्ष 2001-2002 से यह सहायता उपकर संग्रहणों से निर्मित केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदानों के रुप से प्रदान की जाती है ।

8 और 9. केन्द्रीय सड़क निधि को पैट्रोल और डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर का उपकर देकर और सुदृढ़ बनाया गया है । केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 को दिसम्बर, 2000 में अधिनियमित किया गया है । इसके लिए किए गए प्रावधानों का उपयोग विभिन्न राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों के सड़क निर्माण कार्यो की अनुमोदित स्कीमों के वित्तपोषण और साथ ही बेहतर संचार सुविधाओं के संवर्धन के लिए अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की चयनित सड़कों के विकास के लिए किया जाएगा । अनुमान केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन भारत के लोक खाते में लेन-देनों से संबंद्ध है । यह प्रावधान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश के लिए किया गया हैं । इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति केन्द्रीय सड़क निधि से आह्रण द्वारा की जाती है ।

10, 11, 12 और 13 : यह अनुमान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल फीस निधि के अधीन लेन-देनों से संबंधित है, जो भारत के लोक खाते में होगा । इस निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यो के लिए किया जाता है । इस प्रावधान में यांत्रिक रुप से चालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कतिपय स्थायी पुलों के प्रयोग के लिए लगाई गए फीस के संग्रहण की लागत हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान करना भी शामिल है । यह प्रावधान अनुसंधान और आयोजना अध्ययनों तथा मंत्रालय के परियोजना कार्यान्वयन कक्ष के सुदृढ़ीकरण के लिए है।

14. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए नई विदेशी सहायता का 20 प्रतिशत मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार ऋण के रुप में संगठन को प्रदान किया जाना है ।

15 और 16. यह व्यवस्था भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड की हानियों को बट्टे खाते डालने के लिए है ।

17. यह व्यवस्था पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए है ।